फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 67/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/71) **श्री सुनिल खमेसरा बनाम तहसीलदार देवगढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री एस.एल.बोहरा, परमेश्वर पड़्या - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** • **श्री सुनिल पिता लादूलाल जी खमेसरा, निवासी कोतवाली चबूतरा देवगढ़, मदारिया, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।** **-अपीलार्थी** **बनाम** • **सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़।** • **जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर, राजसमन्द।** **-प्रत्यर्थी** **जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा भूमि रूपान्तरण आवेदन निरस्ती आदेश क्रमांक प. 12/3(ख)(14)राजस्व/ग्रा.भू.रू./2019/1163-66 दिनांक 26.04.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 03.10.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा भूमि रूपान्तरण आवेदन निरस्ती आदेश क्रमांक प.12/3(ख)(14)राजस्व/ग्रा.भू.रू./2019/1163-66 दिनांक 26.04.2019 के विरूद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष दिनांक 08.05.2019 को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 07.11.2019 को दर्ज की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • श्री सुनिल पिता श्री लादूलाल खमेरा निवासी कोतवाली चतूबरा, देवगढ़ मदारिया द्वारा ग्राम हीरा की बस्सी-ए, तहसील देवगढ़ स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 270, 271, 250 एवं 251 में से 1575 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द को प्रस्तुत हुआ। • जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा आदेश क्रमांक प. 12/3(ख)(14)राजस्व/ग्रा.भू.रू./2019/1163-66 दिनांक 26.04.2019 से उक्त आवेदन खारिज करते हुए आदेश में वर्णन किया कि **"उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमन्द द्वारा उनके पत्र क्रमांकः एफ/सर्वे/2018-19/8409 दिनांक 29.10.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदित भूमि वन्यजीव अभ्यारण टाडगढ़-रावली की सीमा से 630 मीटर से दूरी पर स्थित है, जो ईको सेन्सेटीव जोन में आती है। घोषित ईको सेन्सेटीव जोन में किसी प्रकार के नवीन वाणिज्यिक निर्माण पर रोक है परन्तु राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर के**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 67/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/71) **श्री सुनिल खमेसरा बनाम तहसीलदार देवगढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रांकः प-1(29)वन/2016 दिनांक 09.06.2017 के द्वारा 5000 लीटर से कम भण्डार वाले पेट्रोल पम्प की स्थापना को "'Industry", "'hazardus Substance" or "Explosive Godown" की श्रेणी में नहीं मानकर "Setup and operate, consent to establish" की श्रेणी में माना है।

प्रकरण में उपवन संरक्षक, राजसमन्द द्वारा जिस पत्र का उल्लेख किया गया है, वह राज्य सरकार का कोई परिपत्र नहीं होकर, सज्जनगढ़ अभ्यारण (उदयपुर) में पेट्रोलपम्प के भण्डारण से सम्बन्धित है, न कि भूमि रूपान्तरण से। अतः किसी अन्य जिले के प्रकरण विशेष में किये गये पत्राचार को अन्य स्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके विपरित राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ.31(10)वन/2014 दिनांक 13.05.2016 द्वारा कुम्भलगढ़ Wildlife Sanctury के 1 किमी. के अन्दर किसी भी प्रकार के नये रूपान्तरण पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। अतः परिपत्र दिनांक 13.05.2016 की पालना में आवेदित भूमि का भू-रूपान्तरण किया जाना अनुमत नहीं है।

अतः श्री सुनील पिता श्री लादूलाल खमेसरा निवासी कोतवाली चतूबरा, देवगढ़ मदारिया द्वारा ग्राम हीरा की बस्सी-ए, तहसील देवगढ़ स्थित उनकी खातेदारी भूमि के रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।"

जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष दिनांक 08.05.2019 को अन्दर मयाद पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 07.11.2019 को दर्ज की गई। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 05.10.2023 को सुनी गई। वकील अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि कथित आदेश देने से पूर्व न तो अपीलार्थी को सुना गया, न ही सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया गया। उप वन संरक्षक का पत्र प्राप्त होने के बाद मर्जीमकसूद तरीके से अपीलान्ट का रूपान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया जो गलत होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। इस मामलें में उप वन संरक्षक वन्य जीव राजसमन्द के पत्र दिनांक 25.10.2018 के अनुसार कथित जमीन पर पेट्रोल पम्प लगाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी इस मामलें में जिला स्तरीय समिति से सहमति उपरान्त संपरिवर्तन कराया जा सकता है, परन्तु जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय समिति को पत्रावली सहमति हेतु भेजे बिना ही व उनकी राय लिए बिना अविधिक आदेश पारित कर दिया। इस मामलें में कुंभलगढ़ अभ्यारण के प्रावधान लागू नहीं होते है क्योंकि कथित भूमि कुम्भलगढ सेंचुरी से 12 किलामीटर एवं कुम्भलगढ़ कस्बा इस जमीन से करीब 75 किलोमीटर दुरी पर है और यहां टाडगढ़-रावली अभ्यारण सीमा पर एक किलोमीटर के प्रावधान लागू नहीं होते है। कथित भूमि पर रूपान्तरण पर किसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 67/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/71) **श्री सुनिल खमेसरा बनाम तहसीलदार देवगढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकार की कोई रोक नहीं है। फिर भी आवेदन निरस्ती हेतु अविधिक आदेश पारित किया। अन्त में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर आवेदित भूमि का वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण स्वीकार करा पट्टा जारी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही दस्तावेज की सूची मय दस्तावेज पेश किये जिसमें उनके द्वारा हस्तगत प्रकरण में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर के जिला कलक्टर, राजसमन्द को पत्रांक 1869 दिनांक 04.06.2019 की मूल प्रति एवं इस क्षेत्र में अन्य आवेदक की भूमि रूपान्तरण के आवेदन पर उप वन संरक्षक वन्यजीव, राजसमन्द द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को जारी अनापत्ति दिनांक 22.09.2015 की प्रति प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23.02.2023 एवं कार्यालय उप वन सरंक्षक वन्यजीव राजसमंद द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.11.2021 प्रस्तुत किया। उक्त पत्रों की ओर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर अपने कथन की ताईद किया जाना बताया और अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमा वांछित अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया।

राजकीय पेरोकार द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिक होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। अपीलार्थी का संपरिवर्तन आवेदन निरस्तनीय होने से जिला कलक्टर राजसमंद द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए निरस्त किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रकट होता है कि आवेदक श्री सुनिल खमेसरा द्वारा ग्राम हीरा की बस्सी ए पटवारी हल्का कामली तहसील देवगढ़ में स्थित खातेदारी भूमि आराजी न. 270, 271, 250, 251 में प्रस्तावित 1575 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यिक पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन चाहा गया। उक्त आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा जिला कलक्टर, राजसमन्द के आदेशों की पालना में संयुक्त जांच तहसीलदार देवगढ़ एवं पटवारी हल्का कामली से कराई जाकर अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.09.2018 मय रूपान्तरण की अनुशंषा के साथ भिजवाई गई। उक्त प्रकरण में वन विभाग से रिपोर्ट अपेक्षित होने पर जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा वन विभाग (उप वन संरक्षक, वन्य जीव, राजसमन्द) से रिपोर्ट दिनांक 26.04.2019 प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.05.2016 के आधार पर जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2019 को आवेदक का रूपान्तरण आवेदन खारिज कर दिया, जिससे व्यथीत होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही दस्तावेज की सूची मय दस्तावेज पेश किये जिसमें उनके द्वारा हस्तगत प्रकरण में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर के जिला कलक्टर, राजसमन्द को पत्रांक 1869 दिनांक 04.06.2019 की मूल प्रति एवं इस क्षेत्र में अन्य आवेदक की भूमि रूपान्तरण के आवेदन पर उप वन संरक्षक वन्यजीव, राजसमन्द द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को जारी अनापत्ति दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 67/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/71) **श्री सुनिल खमेसरा बनाम तहसीलदार देवगढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22.09.2015 की प्रति प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23.02.2023 एवं कार्यालय उप वन सरंक्षक वन्यजीव राजसमंद द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.11.2021 प्रस्तुत किया। उक्त पत्रों की ओर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर अपने कथन की ताईद किया जाना बताया। उक्त पत्रों का हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा अपने निर्णय के अंकित तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिक्षण किया गया। उप वन संरक्षक, वन जीव, राजसमंद के पत्र दिनांक 29.10.2018, 23.11.2021 एवं तहसीलदार, देवगढ़ के प्रमाण पत्र दिनांक 23.02.2023 में अंकित रिपोर्ट से निर्विवादित स्थित है कि **आवेदित भूमि वन जीव अभ्यारण कुम्भलगढ़ से 12.30 किमी व वन्यजीव अभ्यारण टाडगढ़ रावली से 630 मीटर की दुरी पर स्थित है।**

उक्त अपीलाधीन आदेश उपरान्त कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर द्वारा पेट्रोल पम्प व संपरिवर्तन हेतु विभागीय अनापत्ति दिलानें बाबत जिला कलक्टर, राजसमन्द को पत्रांक एफ.5()/सर्वे/मुवसं/उदय/2017-18/1868 दिनांक 04.06.2019 जारी किया जिसमें अंकित किया गया कि-

उप वन संरक्षक वन्य जीव, राजसमंद के पत्रांक एफ/सर्वे/2018-19/8409/29.10.2018 से उक्त भूमि टाडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण की सीमा से 630 मीटर की दूरी पर स्थित होना बताया हैं जोकि ईका सेन्सिटीव जोन में आती है। घोषित ईको सेन्सिटिव जोन में राजस्थान सरकार वन विभाग जयपुर के पत्रांक 1(29)/वन/2014 दिनांक 09.06.2017 (संलग्न) में उल्लेखानुसार ''since petrol pump is not specifically mentioned under prohibited activities in ESZ and does not fall under definitation of industry, or hazardous substance or explosive godown, establishment of a petrol pump storage upto a limit quantity of 50000 liter is not prohibited under the ESZ'' अतः 50000 लीटर से कम भण्डार वाले पेट्रोल पम्प की स्थापना के INDUSTRY: "HAZARDOUS SUBSTANCE" OR "EXPLOSIVE GODOWN" की श्रेणी में नहीं मानकर Setup and operate CONSENT TO ESTABLISH की श्रेणी में माना है। **आवेदित क्षेत्र कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण के 1 किमी के ESZ में नहीं आता है। अतः इस पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-31(10)वन/2014 दिनांक 13.05.2016 अन्तर्गत रोपित शर्तें लागू नहीं होती है, यह आदेश केवल कुम्भलगढ़, जवाई लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व, रणथम्भौर हेतु ही है, अतः आवेदित क्षेत्र रावली टाडगढ़ ESZ में आता है। जिससे कि आवेदित भूमि रूपान्तरण हेतु प्रभावित नहीं होती है।**''

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर के उक्त पत्र एवं अपीलाधीन आदेश का परिक्षण करने पर प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.05.2016 को रूपान्तरण आवेदन खारिज करने का आधार बनाया है, परन्तु मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित पत्र में दिये स्पष्टीकरण अनुसार राज्य सरकार का आदेश दिनांक 13.05.2016 हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होना माना है और आवेदित भूमि के रूपान्तरित होना प्रभावित नहीं होना माना है। मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.06.2019 के आलोक में जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2019 विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय है।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आईए नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 67/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/71) **श्री सुनिल खमेसरा बनाम तहसीलदार देवगढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

131377/2022 व अन्य प्रकरणों बउनवानी टी.एन.गोधावर्मन बनाम भारत संघ में निर्णय दिनांक 26.04.2023 को पारित किया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय ने कहा कि ईएसजेड घोषित करने की आवश्यकता नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए नहीं है, बल्कि इस उद्देश्य किमती वनों/संरक्षित क्षेत्रों को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाना और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के वातावरण को परिष्कृत करना है।

पत्र दिनांक 04.09.2019 से स्पष्ट है कि घोषित ईको सेन्सिटिव जोन में राजस्थान सरकार वन विभाग जयपुर के पत्रांक 1(29)/वन/2014 दिनांक 09.06.2017 में उल्लेखानुसार ''since petrol pump is not specifically mentioned under prohibited activities in ESZ and does not fall under definitation of industry, or hazardous substance or explosive godown, establishment of a petrol pump storage upto a limit quantity of 50000 liter is not prohibited under the ESZ'' माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं मुख्य वन संरक्षक के प्रासंगिक पत्र के आलोक में यह प्रकट होता है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-31(10)वन/2014 दिनांक 13.05.2016 अन्तर्गत रोपित शर्तें लागू नहीं होती है, यह आदेश केवल कुम्भलगढ़, जवाई लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व, रणथम्भौर हेतु ही है, अतः आवेदित क्षेत्र रावली टाडगढ़ ESZ में आता है। जिससे कि आवेदित भूमि रूपान्तरण हेतु प्रभावित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ द्वारा रूपान्तरण किये जाने में अपनी अनुशंषा भी प्रेषित की है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2019 को त्रुटिपूर्ण मानकर इसका कोई समर्थन किया जाना उचित नहीं पाता है और इस न्यायालय समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार अपीलार्थी का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आवेदन प्राप्त अनापत्तियों एवं पत्र दिनांक 04.09.2019 के परिपेक्ष्य में स्वीकार्य योग्य है।

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा आईए नम्बर 131377/2022 व अन्य प्रकरणों बउनवानी टी.एन.गोधावर्मन बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 के पृष्ठ संख्या 51 बिन्दु संख्या 66(I) पर वर्णित अनुसार ईको सेंसिटिव जोन में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गाइडलाईन दिनांक 09.02.2011 की अक्षरशः पालना की जावें। उक्त गाईडलाईन अनुसार उक्त क्षेत्र में हेर्जाडस सब्सटेंस के इस्तेमाल एवं उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। वन विभाग के पत्र दिनांक 09.06.2017 में किये उल्लेखानुसार उक्त प्रतिबंध की श्रेणी में पेट्रोल पम्प को नहीं माना गया है। उक्त गाईडलाईन अनुसार इको सेंसेटिव जोन में अनुमत एवं विनियमित गतिविधितों की निगरानी हेतु जिला स्तरिय निगरानी समिति गठित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावों पर संवीक्षा कर निर्णय लिया जाना है। अतः पेट्रोल पम्प संपरिवर्तन हेतु तद्नुसार कार्यवाही भी अपेक्षित है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।** जिला कलक्टर, राजसमन्द का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2019 अपास्त किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर नियमों के परिपेक्ष्य में जांच उपरान्त पेट्रोल पम्प संपरिवर्तन/अनुज्ञा पत्र की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 67/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/71) **श्री सुनिल खमेसरा बनाम तहसीलदार देवगढ़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए